झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा
द्वितीय (बजट)-सत्र
वर्ग- 05

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक-23 फाल्गुन, 1941 (श0) .....को 13 मार्च, 2020 (ई0) झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे।

क्रमांक	विभागों को भेजी गयी सां0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1-	2.	3.	4.	5.	6.
"क"					
59.	अ0सू0-02	श्री विनोद कुमार सिंह,	स्पष्ट नीति बनाना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एंव परिवार कल्याण विभाग	20.02.20
68.	अ0सू0-16	श्री प्रदीप यादव,	भवन की मरम्मति।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	29.02.20
69.	अ0सू0-24	श्री बिरंची नारायण,	Bio Medical Waste Treatment Plant स्थापित करना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एंव परिवार कल्याण विभाग	07.03.20
70.	अ0सू0-26	श्री सरयू राय	विधि सम्मत कार्रवाई।	विधि विभाग	07.03.20
71.	अ0सू0-15	श्री प्रदीप यादव	जाँच कराना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एंव परिवार कल्याण विभाग	29.02.20
72.	अ0सू0-25	श्री सरयू राय	अवैध निर्माण का जिम्मेदार।	विधि विभाग	07.03.20

1-	2.	3.	4.	5.	6.
73	अ0सू0-22	श्री मनीष जायसवाल,	नियुक्ति का विचार	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	05.03.20

नोट :- "क" 59 दिनांक- 06/03/2020 को सदन द्वारा दिनांक- 13/03/2020 के लिए स्थगित।

रॉची,
दिनांक- 13 मार्च, 2020 (ई0)

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, रॉची।

ज्ञापांक सं0- प्रश्न- 06/2020.....953...../वि0स0, रॉची, दिनांक- 11/03/2020

प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 मंत्रिगण/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रामआशीष यादव)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रॉची।

ज्ञापांक सं0- प्रश्न- 06/2020.....953...../वि0स0, रॉची, दिनांक- 11/03/2020

प्रति :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

11.03.2020
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रॉची।

ज्ञापांक सं0- प्रश्न- 06/2020.....953...../वि0स0, रॉची, दिनांक- 11/03/2020

प्रति :- कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

11.03.2020
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रॉची।

निरंजन

11/03/20

*क'59. श्री विनोद कुमार सिंह--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में सड़क दुर्घटना में घायल नागरिकों के तत्काल उपचार हेतु स्पष्ट नीति नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि आर्थिक अभाव व बेहतर उपचार की गारंटी के अभाव में घायल लोग रास्ते में दम तोड़ देते हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सड़क दुर्घटना में घायल नागरिकों के तत्काल निःशुल्क उपचार हेतु एक स्पष्ट नीति बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) अस्वीकारात्मक ।

सड़क दुर्घटना में घायल नागरिकों के उपचार हेतु झारखण्ड राज्य में सड़क सुरक्षा परिषद गठित है । घायल मरीजों को निःशुल्क एम्बुलेन्स (108) सेवा उपलब्ध है ।

(2) अस्वीकारात्मक । सभी घायल मरीजों को सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान/अस्पतालों में निःशुल्क इलाज उपलब्ध है ।

(3) उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

(68)

श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–13.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं० अ०सू०–16 की उत्तर सामग्री :–

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में कुल 59 ITI में प्रतिवर्ष कुल 9000 छात्रों का नामांकन लिया जाता है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। शैक्षणिक सत्र–2019 में नामांकित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या–5664 है।
2	क्या यह बात सही है कि 59 ITI में से 55 ITI के प्राचार्य पद पिछले 19 वर्षों से रिक्त है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। सम्प्रति 59 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 55 प्राचार्य के पद रिक्त हैं।
3	क्या यह बात सही है कि कई संस्थानों के भवन मरम्मति के अभाव में जर्जर हालात में है जिसमें छात्रों का क्लास रूम और वर्कशाप नहीं होने के कारण पढ़ाई बाधित हो रही है;	अस्वीकारात्मक है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्थायी प्राचार्य की बहाली एवं संस्थान के भवनों तथा वर्कशॉप का मरम्मति कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति हेतु नए झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। नियमावली गठन के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों तथा वर्कशॉप की मरम्मति आवश्यकतानुसार समय–समय पर कराया गया है एवं भविष्य में भी कराया जायेगा।

ह०/–
(संजय कुमार प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।
फैक्स नं०–0651–2490956 ई० मेल : sec-labour-jhr@nic.in

ज्ञापांक–1/श्र०नि०प्र०(वि०स०)–03–21/2020श्र०नि०–382 राँची दिनांक–11/03/2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–504, दिनांक–29.02.2020 के प्रसंग में 200 चक्रलिखित प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha\03-21-2020.docx

69

श्री बिरंची नारायण, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 13.03.2020 को सदन में पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-24 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो सहित राजधानी राँची एवं गई जिलों में Bio medical waste treatment plant नही है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में कुछ ही चुनिंदा जगहों पर Bio medical waste treatment plant जैसी संरचना है, जहाँ राज्य भर का Bio medical waste का treatment जैसे-तैसे किया जा रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक । (1) लोहरदगा Common treatment facility (CIF) द्वारा जिला-लोहरदगा, गुमला, राँची, पलामू, गढ़वा के सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पतालों के Bio medical waste का निष्पादन किया जा रहा है। (2) रामगढ़ Common treatment facility (CIF) द्वारा जिले रामगढ़, बोकारो, धनबाद के सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पतालों के Bio medical waste का निष्पादन किया जा रहा है। शेष जिलों में संप्रति Bio medical waste का निष्पादन Deep Burial Pit एवं Sharp Pit के द्वारा किया जा रहा है।
3. क्या यह बात सही है कि Bio medical waste प्रकृति के लिए काफी हानिकारक है और इससे संक्रमण का खतरा रहता है ;	स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार व्यापक जनहित में प्रत्येक जिले Bio medical waste treatment plant स्थापित करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) दिनांक 08.11.19 को विघटित हो गया है, पुनर्गठन प्रक्रियाधीन है। निम्न प्रकार से Common treatment facility (CIF) की स्थापना प्रस्तावित है। प्रस्तावित CIF का विवरणः-

प्रस्तावित स्थापना	आच्छादित होने वाले जिलें
पाकुड़	गोड्डा, दुमका, साहेबगंज एवं पाकुड़
देवघर	जामताड़ा, देवघर एवं गिरिडीह
सिंदरी	धनबाद एवं बोकारो
हजारीबाग	हजारीबाग, कोडरमा एवं चतरा
मेदिनीनगर	पलामू, गढ़वा एवं लातेहार
आदित्यपुर	पू0 सिंहभूम, प0 सिंहभूम एवं सरायकेला-खरसावां

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः-11/वि0 स0-07-27/2020 90 (15) स्वा0/राँची/दिनांकः- 12.03.2020
प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 945/वि0स0 दिनांक 07.03.2020 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। 12.03.2020

सरकार के संयुक्त सचिव।

Nand Kumar Yadav

(71)

श्री प्रदीप यादव, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 13.03.2020 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0– 15 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है, कि वर्ष–2015 में स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल कॉलेजों में पैथोलॉजी जाँच पीपी0पी मोड में Medall एवं SRL कम्पनी को दिया गया था, जिसे स्वास्थ्य विभाग की जाँच समिति ने गलत करार दिया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। JMHIDPCL के द्वारा SRL Reach Ltd. के साथ 30 अप्रैल 2015 को तथा Medall Scans Pvt Ltd. के साथ 8 मई 2015 को PPP मोड पर झारखण्ड राज्य में Pathology Centre को बनाने, चलाने एवं Maintain करने हेतु करार (Concession Agreement) किया गया था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित जाँच समिति का ऐसी कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं है जिसमें करार को गलत करार दिया गया है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस करार को रद्द करते हुए उच्च स्तरीय जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कण्डिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 20/20– 215(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 11.3.2020
प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 548/वि0स0, दिनांक– 29.02.2020 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/03/2020
अवर सचिव।

श्री सरयु राय, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–13.03.2020 को पूछे जाने वाले अ०सू० प्रश्न सं०–25 का उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार के Bihar Building (lease, rent and eviction) Control Act, 1982 को निरस्त कर इसकी जगह Jharkhand Building (lease, rent and eviction) Control Act, 2011 किया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि यह अधिनियम भारत का संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है जिसके राज्य विधान सभा से पारित होने के बाद प्रभावी होने के लिये भारत के राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है;	विधि (न्याय) विभाग से संबंधित है।
3.	क्या यह बात सही है कि इस अधिनियम की अधिसूचना इसके पारित होने के चार वर्ष बाद 2015 में हुई है परंतु अभी तक इसपर राष्ट्रपति महोदय की सहमति प्राप्त नहीं है, जिस कारण इसके अधीन 2004 से अब तक लिये गये सभी निर्णय अवैध है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संख्या–एल०जी०–24 / 2011–05 / लेज० दिनांक– 07.01.2012 के द्वारा निर्गत परामर्शी पत्र में विधि विभाग द्वारा कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद–200 के प्रावधानों के आलोक में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथापारित झारखण्ड भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण विधेयक, 2011 को महामहिम राष्ट्रपति के विचारार्थ रखना आवश्यक नहीं है। तदालोक में विधेयक पर महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड का अनुमोदन एवं हस्ताक्षर प्राप्त करते हुए विधि विभाग द्वारा विधेयक को अधिनियमित किया गया। झारखण्ड भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 2011 नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–1336 दिनांक–15.04.2015 द्वारा अधिसूचित एवं उक्त तिथि से प्रभावी है। राष्ट्रपति महोदय से सहमति के संबंध में उपर्युक्त में स्थिति स्पष्ट की गई है।
4.	यदि उपर्युक्त कंडिकाओं के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार बताना चाहती है कि राष्ट्रपति महोदय की सहमति नहीं लिये जाने का क्या कारण है और इसके कारण 2011 से अबतक हुये अवैध निर्णयों के लिये कौन जिम्मेदार है?	उपर्युक्त कंडिका–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–08 / वि०मं०प्र० (अ०सू०)–01 / 2020 न०वि०आ० 1029 राँची, दिनांक– 12/03/2020

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०– 943 दिनांक–07.03.2020 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।
12/3

D_sh_Rajesh_2020_Vidhan Sabha Question_66

(73)

श्री मनीष जायसवाल, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक–13.03.2020 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न सं०–22 की उत्तर सामग्री :–

क्र०	प्रश्नकर्त्ता श्री मनीष जायसवाल, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में कुल–59 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित है, जहाँ प्रतिवर्ष नौ हजार छात्र नामांकन कराते हैं;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। शैक्षणिक सत्र 2019 में नामांकित प्रशिक्षणार्थी की संख्या–5664 है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित संस्थानों में कुल स्वीकृत पदों में प्राचार्य का 55 पद, 50 प्रतिशत प्रशिक्षक का इंस्ट्रक्टर का 250 पद सहित अनेक महत्वपूर्ण पदों पर अबतक 19 वर्षों में कोई नियुक्ति नहीं की गई है, जिसके कारण उक्त सभी संस्थानों में पठन–पाठन का कार्य सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रही है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। सम्प्रति 59 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 55 प्राचार्य के पद रिक्त है। वर्ष 2009 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भिन्न–भिन्न व्यवसाय अनुदेशकों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में कुल 279 (दो सौ उन्नासी) अनुदेशकों की नियुक्ति की गई है।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य में अबतक खण्ड–01 में वर्णित संस्थानों में नियुक्ति नहीं होने के कारण यहाँ के सैकड़ों अर्हत्ता एवं योग्याताधारी अभ्यार्थियों की उम्र सीमा समाप्त हो गई है;	उपरोक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट की गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्यहित व जनहित में खण्ड–01 में वर्णित संस्थानों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य के अभ्यार्थियों को उम्र सीमा में छुट देते हुए यथाशीघ्र नियुक्ति को विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति हेतु नए झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। नियमावली गठन के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी। अनुदेशक के कुल 751 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण का पत्रांक–320, दिनांक–04.03.2020 द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को संशोधित अधियाचना भेजी गयी है।

ह०/–
(संजय कुमार प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।
फैक्स नं०–0651–2490956 ई० मेल : sec-labour-jhr@nic.in

ज्ञापांक–1/श्र०नि०प्र०(वि०स०)–03–24/2020श्र०नि०–387 राँची दिनांक–11/03/202

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–758, दिनांक–05.03.2020 के प्रसंग में 200 चक्रलिखित प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।